संख्या-10/330/एक-1-2017-15(1)/98-19

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 18 अप्रैल, 2017

विषयः- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 108 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जनपदों में इस बिन्दु पर भ्रम की स्थिति है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 108 के प्राविधान किस तिथि से लागू होगें?

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना विविध संख्या-1044/79-वि0-1-12-1(क)33/06, दिनांक 12.12.2012 में उल्लिखित है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 के संबंध में ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पर दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया गया है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अध्याय-एक की धारा-1 की उपधारा (3) में उल्लिखित है कि ''यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिये या इस संहिता के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।''

3. विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना विविध संख्या-1545/79-वि0-1-15-2(क)3/2015, दिनांक 16.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015) द्वारा कतिपय संशोधन किये गये है।

उक्त अध्यादेश के क्रम में जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2016) को विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना विविध संख्या-369/79-वि-1-16-1(क)1-2016, दिनांक 11 मार्च 2016 द्वारा कतिपय संशोधनों को दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 से प्रवृत्त किया गया है।

-2-

shasanadesh.up.nic.in

4. राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1879/एक-1-2015-15(1)/1998-19 टी.सी.-3, दिनांक 18.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-1 के अधीन संहिता की धारायें-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 233 और 234 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 से प्रवृत्त की गयी है तथा इस संहिता के शेष उपबन्ध दिनांक 11 फरवरी, 2016 से प्रवृत्त किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 108 को दिनांक 11 फरवरी, 2016 से प्रवृत्त किया गया है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-330(1)/एक-1-2017-15(1)/98-19 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

shasanadesh.up.nic.in